

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1244 / 2010 / जयपुर

2. अपील संख्या 1245 / 2010 / जयपुर

3. अपील संख्या 1246 / 2010 / जयपुर

मैसर्स राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड  
(यूनिट पैलेस ऑन व्हील्स), होटल स्वागतम,  
स्टेशन रोड, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त

वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त पंचम, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री डी.कुमार

अभिभाषक

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 25/5/2015

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

ये तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त(अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 130, 131 व 132/वैट/जी/07-08 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 12.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त पंचम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25(1), 55 व 61 के अन्तर्गत पारित पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.06.07 के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर, शास्ति व ब्याज किया गया है, में से आरोपित शास्तियों को अपास्त कर कर एवं ब्याज को यथावत रखा है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर एवं ब्याज उपरोक्त तीनों अपीलों में विवादित किया गया है :—

| अपील संख्या | वर्ष (तिमाही)   | कर         | ब्याज    |
|-------------|-----------------|------------|----------|
| 1244 / 2010 | 2006-07(चतुर्थ) | 8,45,250/- | 16,905/- |
| 1245 / 2010 | 2006-07(तृतीय)  | 9,16,500/- | 45,825/- |
| 1246 / 2010 | 2006-07(प्रथम)  | 2,07,000/- | 37,260/- |

प्रकरणों के संक्षेपित तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006-07 के प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के प्रपत्र वैट-10 प्रस्तुत किये गये, जिनकी जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संचालित पैलेस ऑन व्हील्स पर बिक्री किये गये कर योग्य माल पर जो आउट पुट टैक्स जमा करवाया है उसमें Cooked Food की बिक्री को शून्य दर्शाया गया है, जबकि पैलेस ऑन व्हील्स पर नाश्ता व तैयार भोजन परोसा जाता है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य वर्ष के

चारों तिमाही बिक्री प्रपत्रों में परोसे गये नाश्ता और तैयार भोजन की बिक्री को शून्य दर्शाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25(1), 55 व 61 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात, उसे अस्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य वर्ष में की गई खरीद को बिक्री मानकर क्रमशः रु.67,62,00/-, रु.73,32,000/- व रु. 16,56,000/- पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं शास्तियों का उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपण किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए शास्तियों को अपास्त किया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये कर निर्धारण आदेश विधि के विरुद्ध, अविधिक होने के साथ ही साथ तथा बिना क्षेत्राधिकारी तथा प्रकरण के तथ्यों के विरुद्ध पारित किये गये हैं। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को बिना समझे ही कार्यवाही की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि पैलेस ऑन व्हील्स में सप्लाई किया गया माल विक्रय नहीं होने से कर योग्य नहीं है। अपीलार्थी (निगम) पैलेस ऑन व्हील्स में की गई कार्यवाही पर्यटन विकास की श्रेणी में आता है इसलिए उक्त कार्यवाही व्यापार एवं वाणिज्यिक नहीं होने से निगम पर कर दायित्व नहीं बनता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा आवश्यक देय रिटर्न प्रस्तुत किये गये हैं, जो अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत आते हैं अतः अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत कार्यवाही करना अविधिक एवं क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने सप्लाई की गई सामग्री पर 50 प्रतिशत की दर से लाभ मानकर कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थी को सूचित किये बिना, उसके सामने कार्यवाही नहीं की गई है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदार नहीं किया गया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण की गई प्रोसीडिंग्स एवं आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं।

उनका कथन है कि अपीलार्थी राजस्थान पर्यटन विकास निगम कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 24.11.79 से पंजीकृत है तथा पैलेस ऑन व्हील्स में यात्रियों को उपलब्ध करवाये गये भोजन एवं नाश्ता पर कर, शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया गया है, जो अविधिक है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 4(20)एफडी/टैक्स/2004-137 दिनांक 04.12.2004 द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स के कुकड़ फूड पर कर मुक्ति स्वीकृत कर रखी है। उनका कथन है कि पर्यटन को बढ़ावा देने

के लिए भोजन एवं नाश्ता की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसको लाभ अर्जित करना मानकर उसकी बिक्री मानते हुए कर, ब्याज एवं शास्तियाँ आरोपित करना उचित नहीं है। अपीलार्थी एक राजकीय उपक्रम है, जिसमें किसी व्यक्ति, विशेष, कर्मचारी / अधिकारी का कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है और अपीलार्थी (निगम) की मंशा करापवचन की रही है बल्कि अपीलार्थी निगम के अधिकारी / कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी नहीं होने से सदभाविक रूप से अधिसूचना दिनांक 04.12.2004 के अन्तर्गत निरन्तर कुकड़ फूड को कर मुक्त विक्रय मानते हुए बिक्री प्रदर्शित की जाकर इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं किया गया हैं। उनका कथन है कि कर दायित्व नहीं होने के बावजूद ब्याज का आरोपण किया गया है, जो अपास्त योग्य है। उक्त कथनों के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत अपीलें स्वीकार अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे गये कर एवं ब्याज को अपास्त करने का निवेदन करते हुए अपीलें कर एवं ब्याज के बिन्दु पर स्वीकार करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार कर निर्धारण अधिकारी ने सप्लाई की गई सामग्री पर 50 प्रतिशत की दर से लाभ मानकर क्रय की गई सामग्री(कच्चा माल)की राशि में जोड़कर अपीलार्थी व्यवहारी को सूचित किये बिना उस पर करारोपण किया है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने सही ठहराया है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी सप्लाई किये गये सामग्री पर 20 प्रतिशत लाभ मानता है।

उक्त प्रकरणों में निर्णय हेतु यही बिन्दु निहित है अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सप्लाई किये गये कच्चे माल पर लाभ 50 प्रतिशत सही है अथवा 20 प्रतिशत। इस बिन्दु के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के पत्रांक F&B/cat/ 3121 दिनांक 25.6.1998 के बिन्दु संख्या 4 को उद्धृत करना समीचीन होगा, जो Sr.Manager/Manager, R.T.D.C./Hotel/Motel को पत्र लिखा गया है, वह निम्न प्रकार है :-

"Food cost of all catering items taken together should not ordinarily exceed 35% of menu rates. as the above food cost formula is purely indicative and subject to the deviation, the stress must be given on 20%surplus generation from catering activity."

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत वरिष्ठ प्रबन्धकों को कच्चे माल पर मुनामा 20 प्रतिशत होने का पत्र लिया गया। इसी पत्र को आधार बनाते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 01.07.2007 से 30.09.2007 (2007-08), दिनांक 01.10.2007 से 31.12.2007 (2007-08) तृतीय तिमाही एवं दिनांक 01.01.2008 से 31.03.2008 (2007-08) के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 28.05.2008, 28.05.2008 एवं

28.05.2008 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए 20 प्रति ही मुनाफा(कैटरिंग कास्ट) जोड़कर करारोपण किया गया है। इसलिए वर्ष 2006-07 की प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सप्लाई की गई सामग्री पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर करारोपण किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना ही अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि "कर निर्धारण अधिकारी ने करारोपण के आधार पर यात्रियों से प्राप्त राशि को नहीं बनाकर अपीलार्थी निगम द्वारा पैलेस ऑन व्हील में भोजन एवं नाश्ता के लिए खरीद एवं कच्चे माल की सामग्री को आधार बनाकर बिकी आंकलन विधिसम्मत रूप से किया जाकर अपीलार्थी निगम पर करारोपण किया है अतः कर देयता के सम्बन्ध में अपीलार्थी निगम के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिया गया तर्क भारयुक्त नहीं होने से फलस्वरूप एवं सम्मानीय न्यायालयों के उद्धरित किये गये निर्णयों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण अपीलार्थी निगम की कर के बिन्दु पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है....।"

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के पत्रांक F&B/cat/ 3121 दिनांक 25.6.1998 को लिखे गये एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 01.07.2007 से 30.09.2007(2007-08), दिनांक 01.10.2007 से 31.12.2007 (2007-08) तृतीय तिमाही एवं दिनांक 01.01.2008 से 31.03.2008 (2007-08) के सम्बन्ध में कमशः दिनांक 28.05.2008, 28.05.2008 एवं 28.05.2008 को कर निर्धारण आदेश(जिनकी बहस के दौरान छाया प्रतियों प्रस्तुत की गई हैं) पारित करते हुए 20 प्रतिशत मुनाफा(कैटरिंग कास्ट) जोड़कर करारोपण किये जाने के आधार पर अपीलीय अधिकारी का उपरोक्त निष्कर्ष तथ्यों एवं रेकार्ड से परे है।

अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सप्लाई की गई कच्चे माल पर 50 प्रतिशत से लाभ जोड़कर करारोपण किये जाने को सही ठहराने के निष्कर्ष को अपास्त किया जाता है तथा 50 प्रतिशत से जोड़कर किये गये करारोपण को अपास्त करते हुए तीनों अपीलें इस बिन्दु पर स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 01.07.2007 से 30.09.2007(2007-08), दिनांक 01.10.2007 से 31.12.2007 (2007-08) तृतीय तिमाही एवं दिनांक 01.01.2008 से 31.03.2008 (2007-08) के सम्बन्ध में कमशः दिनांक 28.05.2008, 28.05.2008 एवं 28.05.2008 को पारित कर निर्धारण आदेशों के आधार पर वर्ष 2006-07 की प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही में सप्लाई किये गये कच्चे माल पर 20 प्रतिशत लाभ जोड़कर पुनः आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)  
सदस्य